राजस्व विभाग

युद्ध जागीर पुरूस्कार

दिनांक 22 जून, 1992

क्रमांक 647-ज-(2)-92/13767.—श्री सरदार सिंह पुत्र श्री करम सिंह, निवासी गांव खान अहमदपुर तहसील व जिला अम्बाला की पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2 (ए) (1) तथा 3 (1) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 847-ज-1-77/15092, दिनांक 16 जून, 1977 द्वारा 150 रुपये और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-I-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी ।

2. अब श्री सरदार सिंह, की दिनांक 13 जुलाई, 1990 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर की श्री सरदार सिंह की विधवा श्रीमति केसर कौर के नाम रबी. 1991 से 300 रुपये वार्षिक की दर से, सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते है ।

क्रमांक 539-ज-(2)-92/13771.- श्री कांशी राम, पुत्र श्री प्रेम राम, निवासी, गांव डानावास तहसील व जिला महेन्द्रगढ़ को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनिसम, 1948 की धारा 2 (ए) (1ए) तथा 3 (1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 244-र-III-66/893, दिनांक 31 मार्च, 1967 द्वारा 100 रुपये वार्षिक और बाद में अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III 70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा 150 रुपये और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-I-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी ।

2. अब श्री कांशी राम की दिनांक 25 सितम्बर, 1991 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री कांशी राम की विधवा श्रीमति दड़कां देवी के नाम रबी, 1992 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं ।

दिनांक 25 जून, 1992

क्रमांक 1219-ज-2-92/14130.—श्री सोहन राम, पुत्र श्री दाता राम निवासी गांव बहड़कलां, तहसील लोहारू जिला भिवानी की पूर्वी पंजाब युद्ध पुरूस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3(1) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 4964-ज-(I)-72/16664, दिनांक 4 जून, 1973 द्वारा 150 रुपये वार्षिक और उसके बाद में अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-I-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी ।

2. अब श्री सोहन राम की दिनांक 27 सितम्बर, 1989 को हुई मृत्यु के परिणाम रुपये हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस जागीर को श्री सोहन राम की विधवा श्रीमति दाखां देवी के नाम रबी, 1990 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं ।

क्रमांक 1640-ज-2-92/14134.—श्री सूरत सिंह, पुत्र श्री कैहर सिंह, निवासी गांव लूला अहीर तहसील कोसली जिला रिवाड़ी की पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2 (ए) (1ए) तथा 3 (1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 55-ज-2-86/5978, दिनांक 21 फरवरी, 1986 द्वारा 300 रुपये वार्षिक की दर जागीर मंजूर की गई थी।

2. अब श्री सूरत सिंह की दिनांक 4 सितम्बर, 1991 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री सूरत सिंह की विधवा श्रीमती विद्या देवी के नाम रबी, 1992 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं।

क्रमांक 982-ज-2-92/14138.—श्री राम प्रताप, पुत्र श्री रूप राम, निवासी गांव कोटिया तहसील व जिला महेन्द्रगढ़ को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए), (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 2452-र-3-71/17981, दिनांक 22 जून, 1971 द्वारा 150 रुपये और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-1-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी।

2. अब श्री राम प्रताप की दिनांक 27 दिसम्बर, 1983 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरुप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री राम प्रताप की विधवा श्रीमति गिन्दोड़ी देवी के नाम खरीफ 1984 से 300 रुपये वार्षिक की दर से, सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं।

क्रमांक 593-ज-2-92/14142.—श्री इन्दराज सिंह, पुत्र श्री निहाल सिंह, निवासी गांव कोट मोहल्ला तहसील करनाल, जिला करनाल को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम 1948 की धारा 2 ए (1) तथा 3 (1) (ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 295-जे० एस-III-66/2119, दिनांक 10 फरवरी, 1966 द्वारा 100 रुपये वार्षिक और बाद में अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा 150 रुपये और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-1-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी।

2. अब श्री इन्दराज सिंह की दिनांक 22 दिसम्बर, 1988 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री इन्दराज सिंह की विधवा श्रीमति करतारो देवी के नाम खरीफ 1989 से 300 रुपये वार्षिक की दर से, सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं।

क्रमांक 1514-ज (1)-91/14146.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2 ए (1ए) तथा 3 (1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्रीमति प्रकाश देवी, विधवा श्री मंगेज सिंह, गांव दनचोली तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ को रबी, 1975 से खरीफ 79 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 80 से 300 रुपये वार्षिक सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते है।

दिनांक: 30 जून, 1992

क्रमांक 924-ज-2-92/14404.—श्री श्योकरण, पुत्र श्री शादी राम निवासी गांव कोहारड़, तहसील झज्जर, जिला रोहतक, को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 6093-आर-4-67/4503, दिनांक 29 नवम्बर, 1967 द्वारा 100 रुपये वार्षिक और बाद में अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा 150 रुपये और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-I-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी।

2. अब श्री श्योकरण की दिनांक 27 फरवरी, 1991 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री श्योकरण की विधवा श्रीमति ईमारती के नाम खरीफ, 1991 से 300 रुपये वार्षिक की दर से, सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं।